भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3265

उत्तर देने की तारीख 20.03.2025

एकलव्य विद्यालय

+3265. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से एकलव्य विद्यालयों के लिए बजट आवंटन में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) वर्ष 2014 से अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार छात्र नामांकन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) वर्ष 2014 से अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार शिक्षक भर्ती में कितनी वृद्धि हुई है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) वर्ष 2018-19 से जनजातीय बच्चों (कक्षा VI से XII तक) को उनके अपने परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना को क्रियान्वित कर रहा है। ईएमआरएस की नई योजना के तहत, मंत्रालय ईएमआरएस योजना का प्रबंधन और कार्यान्वयन करने के लिए मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) को निधियां जारी करता है, और एनईएसटीएस ईएमआरएस के निर्माण और स्कूलों के संचालन के लिए आवर्ती लागत के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक उपक्रमों/निर्माण एजेंसियों/राज्य सोसायटियों को आगे निधियां जारी करता है। 2020-21 से पहले, यह योजना भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के तहत एक घटक थी और इसलिए ईएमआरएस योजना के लिए कोई अलग बजट आवंटन नहीं किया गया था। 2020-21 से नई ईएमआरएस योजना के तहत बजट आवंटन निम्नानुसार हैं:-

वित्तीय वर्ष	व्यय (करोड़ में)
2020-21	1199.98
2021-22	1057.74
2022-23	1999.98
2023-24	2447.61
2024-25	4,748.92

(ख) 2019-20 से पहले, नामांकन डेटा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस समितियों द्वारा अनुरक्षित किया जाता था। जैसा कि एनईएसटीएस द्वारा रिपोर्ट किया गया, 2019-20 से ईएमआरएस में राज्य-वार नामांकन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	शैक्षणिक वर्ष में नामांकन					
		2024-2025	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	9905	8810	7087	5795	4609	3424
2	अरुणाचल प्रदेश	734	451	290	220	100	208
3	असम	एनआर*	एनआर	एनआर	480	480	480
4	छत्तीसगढ़	24464	21943	19123	15581	11519	7961
5	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	346	300	238	179	120	-
6	गुजरात	11471	11066	10985	10973	10974	10156
7	हिमाचल प्रदेश	906	794	673	552	422	312
8	जम्मू एवं कश्मीर	806	577	294	-	-	-
9	झारखंड	3289	3202	3201	3051	3084	3558
10	कर्नाटक	4525	4236	4185	4027	3638	3053
11	केरल	969	862	697	560	520	535
12	मध्य प्रदेश	24842	23084	24281	23393	20657	12946
13	महाराष्ट्र	10083	9010	8048	7062	6272	5067
14	मणिपुर	1441	1435	1440	1431	1439	1440
15	मिजोरम	1901	1197	1250	1061	856	396
16	नागालैंड	744	712	681	671	640	619
17	ओडिशा	11519	9625	8495	7317	6711	5821
18	राजस्थान	9611	8375	8222	7224	5938	4947
19	सिक्किम	1247	1254	1131	1008	987	979
20	तमिलनाडु	2491	2226	2488	2867	2506	2186
21	तेलंगाना	9256	8194	7113	6795	5815	3960
22	त्रिपुरा	2086	1994	1984	1899	1824	1740
23	उत्तर प्रदेश	898	652	617	480	495	473
24	उत्तराखंड	1105	963	752	765	514	393
25	पश्चिम बंगाल	3037	2879	एनआर	2072	400	2737
कुल योग		**137676**	**123841**	**113275**	**105463**	**90520**	**73391**

***एनआर : रिपोर्ट नहीं किया गया**

(ग) जब तक, ईएमआरएस अनुच्छेद 275(1) के तहत एक घटक था, तब तक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती सहित स्कूल के प्रबंधन से संबंधित सभी मामले, संबंधित राज्य ईएमआरएस समिति द्वारा ही देखे जाते थे और सूचना को केंद्रीय रूप से अनुरक्षित नहीं किया जाता था। बाद में, 2018-19 में ईएमआरएस की एक अलग केंद्रीय क्षेत्र योजना बनाई गई। 2021-22 के दौरान, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने देश भर के सभी ईएमआरएस के लिए शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए 38,480 पदों के सृजन को मंजूरी दी, साथ ही 2022-23 से 2026-27 तक चरणबद्ध तरीके से इन पदों को भरने के लिए भर्ती करने की सलाह दी। तदनुसार, एनईएसटीएस ने ईएसएसई-2023 के माध्यम से 10391 पदों की सीधी भर्ती के लिए वर्ष 2023 में केंद्रीकृत भर्ती शुरू की और चयनित कर्मचारियों को 2024-2025 के दौरान तैनात किया गया। तदनुसार, 7050 शिक्षण तैनाती आदेशों सहित कुल 9075 त आदेश जारी किए गए हैं।

****